

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राम सेवक प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गया।

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत नाला निर्माण की योजना के पुनरीक्षण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश सं०- 41, दिनांक- 09.08.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 42, दिनांक- 09.08.2016 के द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए स्तम्भ- 5 के अनुरूप राशि आवंटित की गई थी।

अधीक्षण अभियंता, बुडा द्वारा उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन स्तम्भ- 6 में अंकित राशि के अनुरूप प्रदान करते हुए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार निम्नांकित योजना की सक्षम स्तर से पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए स्तम्भ- 7 में अंकित राशि के अनुरूप पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम, गया	वार्ड नं०- 50 के अंतर्गत राणा नगर में नाला का निर्माण कार्य।	84.494	84.494	129.613	129.613

2. योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत अवशेष पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि आवंटित की जायेगी।


3. योजना के कार्यान्वयन हेतु अन्य शर्तें विभागीय राज्यादेश सं०- 41, दिनांक- 09.08.2016 एवं आवंटनादेश सं०- 42, दिनांक- 09.08.2016 के अनुरूप होगी।

विश्वासभाजन,
ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-01/2013 (अंश-1) 5142 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-02/8/17

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव